मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

- हमारे संविधान में उल्लेखित वे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास मे सहायक होते हैं।
  Those rights mentioned in our Constitution which help in the Materialistic and moral development of a person.
  - भौतिक विकास – राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक
    Materialistic development - political, economic, social
  - नैतिक विकास – आध्यात्मिक, धार्मिक
    Moral development – spiritual, religious
- यह राज्य के विरूद्ध प्राप्त अधिकार है। (कुछ अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के विरूद्ध भी प्राप्त है)
  These rights obtained against the state. (Some rights are available from one person against another person as well)

➢ **संवैधानिक प्रावधान / Constitutional provisions -**

- संविधान के भाग – 3 में उल्लेखित है। / Mentioned in Part-3 of the Constitution.
- भाग – 3 को भारत का 'Megna Carta' कहते हैं। / Part-3 is called 'Megna Carta' of India.
- अनुच्छेद – 12 से 35 तक उल्लेख है / Mentioned in Article 12 to 35.
- मूल अधिकार अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं।
  Fundamental rights are taken from the American Constitution.
- विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस के संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए (1789) में।
  For the first time in the world, the Constitution of France provided fundamental rights to the citizens (in 1789).
- मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे।
  There were seven fundamental rights in the original Constitution.
- वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं / At present there are 6 fundamental rights.
- 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
  By the 44th Constitutional Amendment in 1978, the right to property has been removed from the fundamental rights and made a legal right.

  सम्पत्ति के अधिकार से सम्बन्धित अनुच्छेद / articles related to right to property -
  - पहले (भाग –3) – 19(1) f, 31/ Before (Part-3) – 19(1) f, 31
  - अब (भाग –12) – 300 (क) / Now (Part-12) – 300 (A)

➢ **मूल अधिकारों की श्रेणियाँ / Categories of fundamental rights –**

1. समानता का अधिकार (Right to Equality) – Article 14-18

2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) – Article 19-22
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right against Exploitation) – Article 23-24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) – Article 25-28
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (Cultural & Educational Rights) – Article 29-30
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) – Article 32

➢ **मौलिक अधिकारों की विशेषताएँ (Characteristics of Fundamental Right)**

- इनकी प्रकृति न्यायोचित है, इनके हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है।
  Their nature is justifiable; in case of their violation one can approach the court.
- ये हमें राज्य के विरूद्ध प्राप्त है।/ We have got this against the state.
- मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है।
  Fundamental rights are guaranteed and protected by the Supreme Court.
- मूल अधिकार स्थायी नहीं है अर्थात् संसद अनुच्छेद 368 के तहत् संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटा–बढ़ा सकती है।
  Fundamental rights are not permanent, that is, Parliament can increase or decrease them through constitutional amendment under Article 368.
- मूल अधिकार असीमित नहीं है क्योंकि संसद उन पर विधिक रूप से युक्तियुक्त निर्बन्धन लगा सकती है।
  Fundamental rights are not unlimited because Parliament can legally impose reasonable restrictions on them.

➢ **अनुच्छेद 12 (Article 12)**

- **राज्य की परिभाषा (मूल अधिकारों के संदर्भ में)**
  Definition of State (in the context of fundamental rights)
  - भारतीय संसद/ Indian Parliament
  - संघ की विधायिका और कार्यपालिका/ The legislature and executive of the union
  - राज्य का विधान मण्डल/ State legislature
  - राज्य की विधायिका और कार्यपालिका/ The state legislature and executive
  - स्थानीय स्वशासन निकाय (नगरीय निकाय – नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम) (पंचायतीराज – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्) (जिला बोर्ड) (छावनी बोर्ड)
    Local self-government body (Urban body - Municipality, Municipal Council, Municipal Corporation) (Panchayatiraj - Gram Panchayat, Panchayat Samiti, District Council) (District Board) (Cantonment Board)
  - सार्वजनिक उपक्रम/ Public enterprises
  - वैधानिक और गैर–वैधानिक प्राधिकरण/ Statutory and non-statutory authorities
  - निजी क्षेत्र का उपक्रम जो राज्य के अधीन कार्य कर रहा हो।

Private sector enterprise working under the state.

अनुच्छेद 13 (Article 13)

- मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली और उनसे असंगत विधियाँ।
  Laws that diminish fundamental rights and are inconsistent with them.
- यह अनुच्छेद न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी देता है।
  This article also gives the court the power of judicial review.
- इसके चार भाग हैं / It has four parts.

➢ **अनुच्छेद 13 (1)** – यह संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित विधियों से संबंधित है।
Article 13 (1) – It deals with the laws prevalent in India immediately before the coming into force of the Constitution.

- ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है या मूल अधिकारों से असंगत है तो यह विधि अल्पीकरण और अंसगत की सीमा तक शून्य हो जाएगी।
  Any such law which abridges the fundamental rights or is inconsistent with the fundamental rights, then such law will be void to the extent of the abridgement and inconsistent with the fundamental rights.

➢ **अनुच्छेद 13 (2)** – यह संविधान के पश्चात् की विधियों से संबंधित है।
Article 13 (2) – This is related to the laws after the Constitution.

- संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का हनन करें।
  Parliament cannot make any law which violates the fundamental rights.
- यदि संसद ऐसी विधि बनाती है तो वो विधि अल्पीकरण की सीमा तक शून्य हो जाएगी।
  If Parliament makes such a law then that law will be void to the extent of dilution.

➢ **अनुच्छेद 13 (3)** – इस संबंध में विधि का अर्थ ''विधि क्या है''
Article 13 (3) – In this context, the meaning of law is "What is law?"

- संसदीय अधिनियम, राज्य विधानमण्डल द्वारा जारी अधिनियम
  Parliamentary Act, Act issued by State Legislature
- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश।/ Ordinance issued by the President.
- राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश / Ordinance issued by the Governor
- नियम–विनियम / rules and regulations
- उपविधि / Bye-laws
- प्रथाएँ, रूढियाँ, रीति–रिवाज / customs, traditions, rituals
- कार्यपालिका आदेश / Executive order
- व्यक्तिगत विधि इसमें शामिल नहीं है।/ Personal law is not included in this.

- **अनुच्छेद 13 (4)** – अनुच्छेद 13(2) की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी।
  Article 13 (4) - Nothing in Article 13(2) shall apply to the constitutional amendment made under Article 368.
  - 24वे संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया।/ Added by 24th Constitutional Amendment 1971.
  - संसद 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है अर्थात् उन्हें घटा–बढ़ा सकती है।
    Under Article 368, Parliament can amend the fundamental rights by amending the Constitution, that is, it can increase or decrease them.
- **समानता का अधिकार –** अनुच्छेद 14–18
  Right to equality - Article 14-18
  - **अनुच्छेद/** Article – **14**
    - समता का अधिकार –
      The right to equality
      - विधि का शासन/Rule of law
        - विधि के समक्ष समता – ब्रिटेन/ Equality before the law - Britain
        - विधि का समान संरक्षण – अमेरिका/Equal protection of law- U.S.A.
  - विधि के समक्ष समता/ Equality before law –
    - ये विधि की नकारात्मक व्याख्या करता है।
      It gives a negative interpretation of the law.
    - इसके अनुसार विधि सभी के साथ समान व्यवहार करती है।
      According to this the law treats everyone equally.
    - विधि से बड़ा कोई नहीं। (व्यक्ति – विधिक व्यक्ति, कम्पनी, निगम आदि)
      No one is greater than the law. (Person - legal person, Company, Corporation etc.)
  - विधि का समान संरक्षण/ Equal protection of law –
    - ये विधि की सकारात्मक व्याख्या करता है।
      It gives a positive interpretation of the law.
    - इसके अनुसार विधि समान परिस्थितयों में समान व्यवहार करती है।
      According to this the law behaves similarly in similar circumstances.
    - अलग–अलग परिस्थितयों में भेद–भाव हो सकता है।
      There may be differences in different circumstances.
    - उदाहरण –
      - संसदों और राष्ट्रपति को मिले विशेषाधिकार
        Example – Privileges given to MPs and President

- अनुच्छेद 31(ग) के तहत अमीर और गरीब में सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है।
  Article 31(c) there can be positive discrimination between the rich and poor.

➢ **अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।**
Article 15 - Prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth.

➢ **अनुच्छेद 15 (1) – (राज्य को आदेश)**
Article 15 (1)- (Order to the State)

- राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
  The State will not discriminate on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth.

➢ **अनुच्छेद 15 (2) – (निजी संस्थानों को आदेश राज्य के साथ–साथ।)**
Article 15 (2) - (Orders to be given to private institutions along with the State.)

- निजी संस्थाओं – दुकानों, होटलों, भोजनालयों, सार्वजनिक कुएँ, तालाबों तथा मनोरंजन के स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
  There will be no discrimination on grounds of religion, race, caste, sex and place of birth in private institutions - shops, hotels, restaurants, public wells, ponds and places of entertainment.

➢ **अपवाद / Exception –**

➢ **अनुच्छेद 15 (3) Article 15(3)**

- राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएँ व कार्यक्रम बना सकता है।
  The State can make special schemes and programs for the welfare of women and children.

➢ **अनुच्छेद 15 (4) Article 15 (4)**

- राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम व योजनाएँ बना सकता है।
  The state can make special programs and schemes for socially and educationally backward classes.
- यह अनुच्छेद 'प्रथम संविधान संशोधन 1951' द्वारा जोड़ा गया।
  This article was added by 'First Constitutional Amendment 1951'.
- आधार – मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामला।
  Basis – State of Madras vs. Champakam Dorairajan case.

➢ **अनुच्छेद 15 (5) Article 15 (5)**

- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण
  Reservation in educational institutions for socially and educationally backward classes
- 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। / Added by 93rd Constitutional Amendment 2005
- सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ मामला 2008 में इसे वैध ठहराया।
  The Supreme Court validated it in the Ashok Kumar vs Union of India case in 2008.

- **अनुच्छेद 15 (6) Article 15(6) –** 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया।
  Added by the 103rd Constitutional Amendment Act 2019.

  अनुच्छेद 15 (6) (a) – सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य विशेष कार्यक्रम व योजनाएँ बनाएगा।

  Article 15 (6) (a) - The State shall make special programs and schemes for the economically weaker section of general category.

  अनुच्छेद 15 (6) (b) – सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण।

  Article 15 (6) (b) - Reservation for economically weaker section of general category in educational institutions.

- **अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता**
  Article 16 - Equality of opportunity in public Employment
- **अनुच्छेद 16 (1) Article 16 (1)**
  - लोक नियोजन के विषय में राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा।
    The state will not discriminate in the matter of public employment.
  - सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा।
    Will provide equal opportunities to all.
- **अनुच्छेद 16 (2) Article 16 (2)**
  - किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
    No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of, any employment or office under the state.
- **अपवाद / Exception –**
- **अनुच्छेद 16 (3) Article 16 (3)**
  - संसद किसी राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश की स्थानीय नौकरियों में वहाँ का निवासी होने की बाध्यता रख सकती है।
    Parliament can prescribe residence as a condition for local jobs in any State/UT.
- **अनुच्छेद 16 (4) Article 16 (4)**
  - राज्य के अधीन सेवाओं में यदि किसी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो राज्य उस वर्ग विशेष को आरक्षण दे सकता है।

If the representation of any backward class is not sufficient in the services under the state, then the state can give reservation to that particular class.

- यानि राज्य उस वर्ग विशेष के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर सकता है।
  That means the state can reserve some posts for that particular class.
- पिछड़ेपन का आधार – सामाजिक और शैक्षणिक।
  Basis of backwardness – social and educational.
  - **अनुच्छेद 16 (4) (a)** – पदोन्नती में आरक्षण (77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा)
    Article 16(4)(a) – Reservation in promotion (by 77th Constitutional Amendment 1995)
  - **अनुच्छेद 16 (4) (b)** – Backlog को भरने के लिए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है।
    Article 16 (4) (b) – The reservation limit may exceed 50% to fill the Backlog.

Backlog :- किसी आरक्षित वर्ग को आरक्षित पदों में से कुछ पद खाली रह जाते हैं तो अगली बार वो पद जुड़कर आते हैं, यदि इस बार भी पद रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य कैटैगरी में डाल दिया जाता है।

Backlog : If some posts remain vacant among the posts reserved for a reserved category, then next time those posts are added, if this time also the posts remain vacant then they are put in the general category.

- **अनुच्छेद 16 (5) Article 16(5)**
  - राज्य द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म के व्यक्ति के लिए स्थान आरक्षित किया जा सकता है।
    Post can be reserved for people of that religion in religious institutions run by the state
- **अनुच्छेद 16 (6) Article 16 (6)**
  - सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा।
    10% reservation will be given in government jobs for economically weaker section of general category.
  - 103वाँ संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया।
    Added by the 103rd Constitutional Amendment 2019.

❖ **आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण /** Reservation for general category on economic basis

EWS - Economically Weaker Section

- 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक / 124th Constitution Amendment Bill

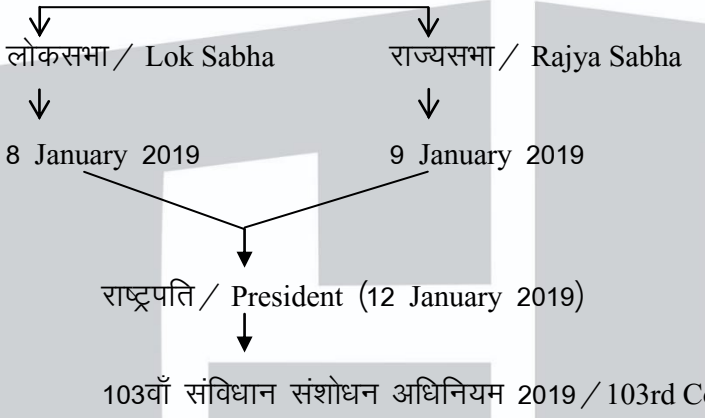

- इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण दिया गया।
  Under this, economically weaker people of general category were given reservation in education and employment.
- इसके तहत अनुच्छेद 15 व 16 में भाग – 6 जोड़ा गया।
  Under this, section was added to Articles 15 and 16.
- EWS को मिला यह 10% आरक्षण SC, ST और OBC को प्राप्त 49.5% आरक्षण से अलग होगा।
  This 10% reservation given to EWS will be separate from the 49.5% reservation given to SC, ST and OBC.

❖ **आरक्षित वर्गों की श्रेणियाँ –** अनुसूचित जाति (15%), अनुसूचित जनजाति(7.5%), अन्य पिछड़ा वर्ग(27%), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(10%)

Reserved classes categories - SC(15%), ST(7.5%), OBC(27%), EWS(10%)

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / NCSC/ Article 338**
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग / NCST/ Article 338A**
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग / NCBC/ Article 338 B**

❖ **अन्य पिछड़ा वर्ग /** Other Backward Class –

➢ प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, 1953 – काका कालेलकर – अध्यक्ष
First Other Backward Classes Commission, 1953 - Kaka Kalelkar - Chairman

- इस आयोग की सिफारिशें राष्ट्रपति ने खारिज कर दी।
  The President rejected the recommendations of this commission.

➢ जनता दल सरकार ने 1979 में V.P. Mandal की अध्यक्षता में दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया।
In 1979, the Janata Dal government formed the Second Other Backward Classes Commission under the chairmanship of V.P. Mandal.

- इस आयोग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान करने का काम सौंपा।
  Entrusted this commission with the task of identifying socially and educationally backward classes.
- 1980 में रिपोर्ट सौंपी।/ Submitted the report in 1980.
- रिपोर्ट में जाति को पिछड़ेपन का आधार माना।
  In the report caste was considered the basis of backwardness.
- सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गो को 27% पदों का आरक्षण दिया जाए।
  Reservation of 27% posts should be given to other backward classes in government jobs.
- सरकारी नौकरियों में V.P. Singh सरकार ने 27% का आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया। (1990 में)
  In government jobs, reservation of 27% for backward classes is implemented by V.P. Singh government (in 1990)

➢ 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से OBC आयोग को संवैधानिक आयोग बनाया गया। (अनुच्छेद 338–ख) (राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग)
The OBC Commission was made a Constitutional Commission through the 102nd Constitutional Amendment Act 2018. (Article 338-B) (National Commission for Backward Classes)

➢ 1991 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की बात की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
In 1991, the P.V. Narasimha Rao government talked about reservation for economically weaker sections of the general category, which was rejected by the Supreme Court.

❖ **इन्द्रा साहनी मुकदमा**/ Indra Sawhney case **(1992) –**

- सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया।
  Supreme Court gave its verdict regarding reservation
- सन्दर्भ – Mandal आयोग/ Reference - Mandal Commission

➢ आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है।/ Reservation is not opposed to equality.

➢ जाति आरक्षण का आधार बन सकती है।/ Caste can become the basis of reservation.

➢ Creamy Layer की अवधारणा दी।/ Gave the concept of Creamy Layer

- आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी।/ The maximum limit of reservation will be 50%.
- पदोन्नति में आरक्षण नहीं।/ No reservation in promotion.
- Backlog का Carry Forward नहीं होगा।/ Backlog will not be Carry Forward
- आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन/समीक्षा हो सकती है।
  There can be judicial review of the reservation system.

नोटः– M. Nagaraj v/s Union of India (2006)/ एम. नागराज बनाम भारत संघ मामला (2006)

- सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले तीन शर्तों का अनिवार्य पालन बताया –
  The Supreme Court declared mandatory observance of three conditions before giving reservation in promotion -
  - वर्ग पिछड़ा हो। / The class is backward
  - अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।/ Inadequate representation.
  - प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
    Administrative efficiency should not be adversely affected.

मलाई की परत/Creamy Layer:

- अन्य पिछड़े वर्गों के साधन सम्पन्न लोग।
  Wealthy people from other backward classes.
- वर्तमान मे क्रीमिलेयर के लिए 8 लाख का मापदण्ड है।(पहले 6 लाख था)
  At present the criteria for creamy layer is Rs 8 lakh (earlier it was Rs 6 lakh)
- क्रीमिलेयर मे कौन शामिल होगा, इसकी पहचान करने के लिए रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
  A committee was formed under the chairmanship of Ramanandan Prasad to identify who would join the creamy layer.

- **Article 17 -** अस्पृश्यता का अन्त/ Abolition of Untouchability
  - यह एक ''पूर्ण अधिकार'' है।/ It is an "Absolute Right".
  - इसका कोई अपवाद नहीं है।/ There is no exception to this.
  - अनुच्छेद 17 एवं 35 संसद को अस्पृश्यता निवारण हेतु दण्ड की विधि बनाने की शक्ति देते हैं।
    Articles 17 and 35 give the Parliament the power to make penal laws for the prevention of untouchability.

- मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में अस्पृश्यता शब्द के बारे में बताया कि इसका प्रयोग शाब्दिक व व्याकरणीय समझ से परे ऐतिहासिक है।
  In the case of Article 17, Mysore High Court said about the word untouchability that its use is historical beyond literal and grammatical understanding.

नोट :– अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम 1955 (The Untouchablility (offences) Act 1955)

- 1976 में इसका नाम बदलकर 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम' कर दिया गया
  In 1976 its name was changed to 'Protection of Civil Rights Act'
- 1977 में इसके नियम बने।
  Its rules were made in 1977.

नोट – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (1989)– इसे Atrocity Act कहते हैं।

Note - Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act (1989) - It is called Atrocity Act.

- लागू – 30 जनवरी 1990 / In force - 30 January 1990
- 1995 में इसके लिए नियम बने / Rules were made for this in 1995

➢ अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत) (Abolition of titles)

- **18(1)** – राज्य सेना और विधा से संबंधित सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा।
  18(1) – The State shall not confer any title except for honors in connection with the military and Academic distinction.
- **18(2)** – कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
  18(2) – An Indian citizen can not accept any title from any foreign state.
- **18(3)** – कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ का या विश्वास का पद धारण करता है, किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकता है। (राष्ट्रपति की सहमति पर)
  18(3) - Any foreign citizen who holds an office of profit or trust under the Government of India can accept a title from a foreign State. (With the consent of the President)
- **18(4)** –
  - विदेशी या भारतीय नागरिक, जो भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से भेंट, उपलब्धि, पद आदि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है।
    A foreign or Indian citizen, who holds an office of profit under the Government of India, cannot accept any presentation, emolument, office, etc. from any foreign state without the consent of the President.

➢ बालाजी राघवन वाद 1996 / Balaji Raghavan case 1996

- इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि उपाधियाँ नहीं है, वरन सम्मान है। अतः ये समानता के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं है।

In this the Supreme Court ruled that Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan etc. are not titles but honours. Hence, these are not voilative to the theory of equality.

- हालांकि न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता इन सम्मानों का प्रयोग अपने नाम से पहले या बाद में ना करे अन्यथा उन्हें पुरस्कारों को त्यागना पड़ेगा।
  However, the court also ruled that the awardees should not use these awards as suffixes or prefixes to their names otherwise they should forfight the awards.

➢ **नागरिक पुरस्कार (भारत रतन, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पदम श्री)**
Civilian awards (Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri)

- 1954 ई. में प्रारम्भ किए गए।
  Started in 1954.
- 1977–80 – जनता पार्टी सरकार ने रोक दिए।
  1977-80 - Suspended by the Janata Party government.
- 1980 ई. – पुनः प्रारम्भ किए गए।
  Started again 1980.
- 1992–1995 – कॉंग्रेस सरकार ने रोक लगा दी।
  1992-1995 - Suspended by Congress government.
- एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  The number of Padma awards to be given in a year should not exceed 120.
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम तीन तक सीमित है।
  The number of Bharat Ratna awards is limited to a maximum of three in a particular year.

स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom – Article 19 to 22)

Article 19 : - इसके छः खण्ड हैं। (19(1) – 19(6))

Articl 19- It has six sections. (19(1) – 19(6))

➢ **अनुच्छेद 19(1)** – इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है – मूल संविधान में 7 थी।
Article 19(1) – It mentions 6 types of freedoms – there were 7 in the original Constitution.

- **19(1)(a)** –वाक् एवम् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता / 19(1)(a) - Freedom of speech and expression
  - प्रेस की स्वतंत्रता / Freedom of the press
  - विज्ञापन की स्वतंत्रता / Freedom of commercial advertising
  - चुप रहने की स्वतंत्रता / Freedom of silence
  - टेलीफोन टेप के विरूद्ध अधिकार / Right against tapping of telephonic conversation
  - सरकारी गतिविधियों को जानने का अधिकार / Right to know about government activities

- धरना, प्रदर्शन का अधिकार (हड़ताल नहीं)
  Right to demonstration or picketing but no right to strike.
- झण्डा फहराने का अधिकार / Right to Flag hosting
- विचारों के प्रचार–प्रसार का अधिकार / Right to propagate views
- बंद के विरूद्ध अधिकार / Right against bundh.

- **19(1)(b)** – शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार (बिना शस्त्रों के)
  19(1)(b) – Right to assemble peaceably (without arms)
- **19(1)(c)** – संघ (सभा, संघ, सहकारी समितियाँ) बनाने का अधिकार और उसे नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार। (इनमें निम्नलिखित शामिल हैं – कम्पनी, एन.जी.ओ., राजनीतिक दल, समितियाँ क्लब आदि)
  Section 19(c) - Right to form an associations (associations, unions, co-operative societies) and the right to continue with it. (These include the following - companies, NGOs, political parties, committees, clubs, etc.)
  - 97 CAA 2011 द्वारा सहकारी समितियों का प्रावधान जोड़ा गया।
    Provision of Corporative societies Added by 97th CAA 2011
- **19(1)(d)** – भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध विचरण करने का अधिकार
  19(1)(d) – To move freely throughout the territory of India.
- **19(1)(e)** – आवास–निवास की स्वतंत्रता
  19(1)(e) – Freedom of residence.
- **19(1)(f)** – सम्पत्ति (अब मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है) – 300(क) के तहत – 44वें सविधान संशोधन 1978
  19(1)(f) - Property (no longer a fundamental right, but a legal right) - Under 300(A) - 44th Constitutional Amendment 1978
- **19(1)(g)** – वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का अधिकार (आजीविका का अधिकार)
  19(1)(g) - Right to profession, occupation, trade, business (right to livelihood)

  नोट :– अनुराधा भसिन वाद (2020) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि इन्टरनेट के माध्यम से किसी भी पेशे का अभ्यास करना या किसी भी व्यापार करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

  In the Anuradha Bhasin Case (2020), the Supreme Court held that the freedom to practice any profession or carry on any business through the internet has constittutional protection under Article 19 (1)(g).

➢ **अनुच्छेद / Article 19(2)**

- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएँ / Restriction on freedom of speech and expression.
- इसके अन्तर्गत 19(1) (a) में दी गई स्वतंत्रताओं पर लगने वाले युक्तियुक्त निबर्धनों का उल्लेख है।
  Under this, there is mention of reasonable restrictions imposed on the freedoms given in 19(1)(a).
  - भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता
    sovereignty and integrity of India
  - राज्य की सुरक्षा
    security of the state
  - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध
    friendly relations with foreign states
  - न्यायालय की अवमानना
    contempt of court
  - मानहानि / defamation
  - लोक व्यवस्था / public order
  - नैतिकता और सदाचार
    morality and decency
  - अपराध उद्दीपन
    incitement to an offence

➢ **अनुच्छेद / Article 19(3)**

- शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएँ / Restriction on freedom of peaceful Assembly –
  - भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता / The sovereignty and integrity of India.
  - लोक व्यवस्था / Public order

➢ **अनुच्छेद / Article19(4)**

- संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएँ / Restriction on freedom of forming an association –
  - भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता / The sovereignty and integrity of India.
  - लोक व्यवस्था / public order
  - नैतिकता / morality

➢ **अनुच्छेद / Article 19(5)**

- अबाध विचरण और आवास / निवास की स्वतंत्रता की सीमाएँ
  Restriction on free movement and freedom of residence –
  - जनसाधारण के हित में / In the interest of the general public
  - अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु।
    The Protection of interests of any scheduled tribes.
  - नोट / Note –

- उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वैश्या के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  The Supreme Court ruled that a prostitute's right to free movement can be restricted on the basis of public morality and public health.
- बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया।
  Bombay High Court upheld the ban on free movement of persons suffering from AIDS.
- यह केवल आंतरिक गतिविधियों की रक्षा करता है। (देश के अंदर)
  It protect only internal movement. (Inside the country)

➢ **अनुच्छेद / Article 19(6)**

- आजीविका की स्वतंत्रता की सीमाएँ / Restriction on freedom of profession/livelihood –
  - जनसाधारण के हित में (वैश्यावृत्ति, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध), लाइसेंस द्वारा नियमन
    in the interest of the general public (Prohibition of prostitution, Drug) Regulation through Licensing.

Article 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।

Article 20 – Protection in respect of conviction for offences.

➢ **अनुच्छेद 20(1)** –भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण
Article 20(1) - Protection from retrospective criminal laws

- किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत दण्डित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। अर्थात् आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता।
  Any person can be punished under the same law which was in force at the time of the commission of offence i.e. the Criminal law cannot be imposed retrospectively. (No ex-post-facto law)
- नागरिक कानूनों का भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है।
  Civil law can be imposed retrospectively.

➢ **अनुच्छेद 20(2)** – दोहरे दण्ड से संरक्षण
Article 20(2) – No Double Jeopardy.

- एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती।
  (विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही हो सकती है।)
  A person cannot be punished twice for the same offence.
  (Departmental and administrative action may be taken.)

➢ **अनुच्छेद 20(3)** – अपने विरूद्ध गवाही देने से संरक्षण
Article 20(3) – Protection from giving testimony (witness) against himself/herself.

- किसी भी आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरूद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
  No accused person can be compelled to be witness against himself/herself.
- यह निम्न बातों में संरक्षण नहीं देता।/ it does not provide protection against the following things -
  - स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना।/ Presenting oneself physically
  - अंगूठे का निशान लेना/ Thumb impression
  - हस्ताक्षर करवाना/ Get signature
  - रक्त का नमूना लेना।/ Taking blood specimen.

नोट :– अनुच्छेद 20 केवल आपराधिक कानूनों से संरक्षण देता है।

Note :- Article 20 gives protection only from criminal laws.

➢ **अनुच्छेद/Article 21 –**

- प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार(जीवन जीने का अधिकार)
  Right to freedom of life and personal liberty(Right to Life)
- विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।
  A person can't be deprived from his life and personal liberty except according to procedure established by the law.

✓ **A. K. Gopalan v/s State of Madras Case (1950) –**

- इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की।
  Under this, the Supreme Court gave a narrow interpretation of Article 21.
- इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के तहत माना कि जीवित रहना व बंधक नहीं बनाया जाना।
  In this, the Supreme Court considered that life and personal liberty freedom means to be alive and not be confined.
- इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को निम्न प्रकार से उल्लेखित किया ।
  Under this, the Supreme Court mentioned the procedure established by law as follows.
- **विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया –(ब्रिटेन, जापान)/** Process established by law (Britain and Japan)

न्यायपालिका/ Judiciary

विधायिका के कार्यो की समीक्षा नहीं कर सकती Cannot review the action of Legislature.	कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है। Can review the action of Executive.

- इसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। लेकिन विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती है।
  Under this, the judiciary can review the arbitrary actions of the executive. But it cannot review the arbitrary actions of the legislature.
- भले ही विधायिका ने कोई अतार्किक, अन्यायपूर्ण अनुचित कानून बनाया हो, न्यायपालिका को उसका अक्षरशः पालन करना होगा।
  Even if the legislature has made an unreasonable, unjust or unfair law, the judiciary has to follow it to the letter. (word to word)

✓ **Maneka Gandhi v/s Union of India Case (1978) –**

- इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की तथा अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया।
  In this, the Supreme Court gave a wider interpretation of Article 21 and overruled its previous judgement.
- इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की सम्यक् प्रक्रिया माना।
  In this, the Supreme Court considered the process established by law as the due process of law.
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज बताया।
  In this case, the Supreme Court described Articles 14, 19 and 21 as the golden triangle of fundamental rights.
- **विधि की सम्यक् प्रक्रिया –(अमेरिका) / Due process of law -(USA)**

न्यायपालिका / Judiciary

विधायिका के कार्यो की समीक्षा कर सकती है।	कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है।
Can review the action of Legislature.	Can review the action of Executive

- सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत माना कि न्यायपालिका विधायिका के स्वेच्छाचारी कार्यों की भी समीक्षा कर सकती है।
  Under this, the Supreme Court ruled that the judiciary can also review the arbitrary actions of the legislature.
- अर्थात् वह किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है, कि वह कानून प्राकृतिक न्याय के अनुरूप है या नहीं।
  That is, it can review any law, whether that law is in accordance with natural justice or not.
- यदि कोई कानून अतार्किक, अन्यायपूर्ण, अनुचित हो तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध हो तो न्यायपालिका उसे बदल सकती है तथा उसकी अलग व्याख्या कर सकती है।
  If any law is unreasonable, unjust, unfair and against natural justice then the judiciary can change it and interpret it differently.

- इसमें न्यायपालिका, विधायिका के कानूनों का अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
  In this, the judiciary is not bound to follow the laws of the legislature in letter and spirit word to word.
- इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राण व दैहिक स्वतंत्रता (जीवन का अधिकार) की व्यापक व्याख्या की
  In this, the Supreme Court gave a wider interpretation of Right to freedom of life and personal liberty.(Right to life)
- इसमें जीवन के अधिकार के तहत माना कि मानवीय गरिमा से युक्त जीवन जिसमें जीवन के सभी पहलू हो, जिससे जीवन अर्थपूर्ण बने।
  Under the right to life, it is understood that life with human dignity which includes all aspects of life, which makes life meaningful.
- गरिमापूर्ण जीवन के लिए निम्नलिखित अधिकारों का होना अनिवार्य है –
  The following rights are compulsory for a dignified life -
  - मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार
    the right to live with human dignity
  - स्वच्छ पर्यावरण(प्रदूषण रहित जल एवं वायु) में जीने का अधिकार
    the right to live in a decent environment (pollution-free water and air).
  - हानिकारक उद्योगों के विरूद्ध सुरक्षा
    protection against hazardous industries
  - जीवनरक्षा का अधिकार
    right to life
  - निजता का अधिकार
    right to privacy
  - आश्रय के अधिकार
    rights of Shelter
  - स्वास्थ्य का अधिकार
    right to health
  - निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
    right to free legal aid
  - हथकड़ी लगाने के विरूद्ध अधिकार
    the right against handcuffing
  - आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार
    right to emergency medical facility
  - विदेशी यात्रा का अधिकार
    right to travel abroad
  - शयन का अधिकार
    right to sleep

- विद्युत का अधिकार
  right to electricity
- ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार
  the right to freedom from noise pollution
- सार्वजनिक फाँसी के विरूद्ध अधिकार
  right against public hanging
- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार
  Right to fair trial
- सूचना का अधिकार
  right to information
- सामाजिक सुरक्षा व परिवार के संरक्षण का अधिकार
  the right to social security and family protection
- प्रतिष्ठा का अधिकार
  right to reputation
- देर से फाँसी के विरूद्ध अधिकार
  right against delayed execution
- महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार का अधिकार
  the right of women to be treated with decency and dignity.
- उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार
  Right to appropriate life insurance policy
- अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार
  Right to marry a person of one's choice.
- गरिमा के साथ मरने का अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु)
  Right to die with dignity (passive euthanasia)
- पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार
  Right to road in hilly areas
- राज्य से बाहर न जाने का अधिकार
  Right not to be driven out of the state.
- बंधुआ मजदूरी के विरूद्ध अधिकार
  Right against bounded labour.
- अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध अधिकार
  Right against inhuman treatment.
- हिरासत में शोषण के विरूद्ध अधिकार
  Right against custodial harassment
- सजा के फैसले पर अपील का अधिकार
  Right to appeal from judgement of conviction.

- सामाजिक व आर्थिक न्याय व सशक्तिकरण का अधिकार
  Right to social and economic justice and empowerment.
- संधारणीय विकास का अधिकार
  Right to sustainable development.
- अवसर का अधिकार
  Right to opportunity.
- 14 वर्ष से कम आयु तक निःशुल्क शिक्षा
  Free education up to 14 years of age.
- एकान्त कारावास के विरूद्ध अधिकार
  Right to against Solitary confinement.
- कैदी के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार
  Right to prisoner to have basic necessities of life.
- सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार
  Right to timely treatment in government hospitals.
- जीविकोपार्जन का अधिकार
  Right to livelihood.
- त्वरित सुनवाई का अधिकार
  Right to speedy trial
- बेड़ियों के खिलाफ अधिकार
  Right against bar fetters
- डिजिटल एक्सेस का अधिकार (KYC के संबंध में)
  Right to Digital Access (related to KYC)

➢ **P. Rathinam v/s Union of India Case (1994) –**

- सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार माना।
  The Supreme Court considered the right to suicide as a fundamental right.

➢ **Gian Kaur v/s Punjab State (1996) -**

- सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने पर जोर दिया व आत्महत्या को मूल अधिकार नहीं माना।
  The Supreme Court emphasized on living life and did not consider suicide as a fundamental right.

➢ **Aruna, Ramchandra, Shanbaug v/s Union of India (2011) -**

- इसमें निष्क्रिय इच्छामृत्यु को स्वीकार कर लिया गया।
  Passive euthanasia was accepted in this.

  नोट : IPC की धारा 309 के तहत् आत्महत्या का प्रयास करना दण्डनीय अपराध है।

  Note: Attempting suicide is a punishable offense under Section 309 of the Indian Penal Code.

अनुच्छेद 21(A) – शिक्षा का अधिकार/ Article 21(A) – Right to Education :–

- 6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवायी जाएगी।
  Children of 6-14 years will be provided free and compulsory education.
- 86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया।
  Added by 86th Constitutional Amendment Act 2002.
- इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ।
  Under this, the Right to Education Act, 2009 was passed, which implemented from 1 April 2010.
- इसके तहत 6–14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य है।
  Under this, education for children of 6-14 years of age is free and compulsory.
- इसमें प्रावधान था कि निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। जिनके शुल्क का भुगतान सरकार करेगी।
  It had the provisions for reserving 25% seats in private schools for poor children and their fee will be paid by the government.

अनुच्छेद 22 – कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के विरूद्ध संरक्षण –

Article 22 - Protection against arrest and detention in certain cases -

- **22(1)** –गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को –
  Every person who is arrested shall-
  - गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार
    Right to be informed about the ground of arrest/detention.
  - गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श करने का अधिकार
    Right to consult and be defended by a legal practitioner
- **22(2)** –प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है–
  Every person who is arrested shall-
  - 24 घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार (इसमें यात्रा व अवकाश का समय शामिल नहीं है।)
    Right to be produced before a magistrate within 24 hours (This does not include travel and vacation time.)
- **22(3)** – खण्ड 1 और 2 की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी –
  Nothing in clauses 1 and 2 shall apply to the following -
  - उपर्युक्त अधिकार दो प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं है –
    The above mentioned rights are not available to two types of people -
    - शत्रु देश के नागरिक को (एलियन)/ citizen of enemy country (alien)

- निवारक निरोध कानून के तहत निरूद्ध किए गए व्यक्ति को।
  A person detained under preventive detention laws.

➢ **22(4)** –निवारक निरोध कानून के तहत निरुद्ध व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं –
A person detained under the Preventive Detention Act has certain rights -

- ऐसे व्यक्ति को अधिकतम तीन माह के लिए निरूद्ध किया जा सकता है।
  such a person can be detained for a maximum of three months.
- यदि अवधि बढ़ानी हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकारी मंडल की सिफारिश आवश्यक है।
  If the period is to be extended, then the recommendation of an advisory board constituted of High Court judges is necessary.
- 44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा निरुद्ध करने की अवधि को 3 माह से कम करके 2 माह कर दिया गया है किन्तु अभी इसे लागू नहीं किया गया है।
  By the 44th Constitutional Amendment, 1978 detention period has been reduced from 3 months to two months but not yet implemented.

➢ **22(5)** – जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध उपबंध के तहत निरूद्ध किया जाता है तो निरूद्ध का आदेश देने वाले अधिकारी को निरूद्ध व्यक्ति को निरूद्ध किये जाने का आधार बताना होगा जिससे निरूद्ध व्यक्ति उस आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन कर सके।
When a person is detained under the preventive detention provisions, the officer passing the order of detention must inform the person of the grounds for such detention so that the person can make a representation against such order.

- निरूद्ध व्यक्ति को निरूद्ध के विरूद्ध अभिव्यक्ति का अधिकार है(अपील करने का अधिकार)
  the detained person has the right to express his opinion against the detention (right to appeal)

➢ **22(6)** – निरूद्ध का आदेश देने वाला अधिकारी लोक हित को ध्यान में रखते हुए निरूद्ध किए जाने का कारण बताने से मना भी कर सकता है।
The officer giving the order of detention may also refuse to give reasons for the detention keeping in mind the public interest.

- निरूद्ध व्यक्ति को निरूद्ध का कारण जानने का अधिकार है, लेकिन जनहित में कुछ तथ्य बताने से इंकार भी किया जा सकता है।
  The detained person has a right to know the reason for his detention, but in the public interest, certain facts can be refused disclosure.

➢ **22(7)** –निवारक निरोध कानूनो के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति –
Power of Parliament to make provision for preventive detention laws -

नोटः– वे विषय जिस पर केवल संसद को निवारक निरोध कानून का अधिकार है –
(1) रक्षा (2) भारत की सुरक्षा (3) विदेशी मामले
Note:- Subjects on which only the Parliament has the right to make preventive detention law -

(1) Defense (2) Security of India (3) Foreign affairs

नोटः– वे विषय जिस पर संसद व राज्य विधानमण्डल दोनों निवारक निरोध कानून बना सकते हैं –
Note:- Subjects on which both the Parliament and State Legislature can make preventive detention laws -

1. राज्य की सुरक्षा / Security of the state
2. लोक व्यवस्था / Public order
3. समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखना।
   Maintaining essential supplies and services for the community.

➢ **Examples of Preventive Detention Laws :**

- निवारक निरोध अधिनियम, 1950 (1969 में समाप्त)
  Preventive Detention Act 1950 (Abolished in 1969)
- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 (1978 में समाप्त)
  Maintenance of Internal Security Act (MISA) 1971 (Abolished in 1978)
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (COFEPOSA), 1974
  Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act (COFEPOSA), 1974
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980
  National Security Act (NSA), 1980
- आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (TADA), 1985 (1995 में समाप्त)
  Terrorist And Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA), 1985 (Abolished in 1995)
- आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA), 2002 (2004 में निरस्त)
  Prevention of Terrorism Act (POTA), 2002 (Repealed in 2004)
- गैर–कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967
  Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967

शोषण के विरूद्ध अधिकार (23–24) / Right against exploitation (23-24)

➢ **अनुच्छेद / Article 23 –**

- **अनुच्छेद 23 (1) मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध**
  Article 23 (1) Prohibition of Human traffic and forced labor

मानव दुर्व्यापार / Human Traffic	बलात् श्रम / Forced Labor
○ दास प्रथा slavery	1. बंधुआ मजदूरी bonded labor system
○ देवदासी Devadasi	2. बेगार प्रथा forced labor system
○ वेश्यावृत्ति Prostitution	– **बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) अधिनियम (1976)** Bonded Labor (Abolition) Act (1976)

- मनुष्यों की खरीद बिक्री
  Buying and selling of human beings
- **अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम (1956)**
  Immoral Traffic (Prevention) Act (1956)

- **23 (2) –**
  - राज्य सार्वजनिक प्रायोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है।
    The state can impose compulsory service for public purposes.
  - इस प्रकार के आयोजन में राज्य धर्म, मूलवंश, जाति व वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
    In this type of event, the state will not discriminate on the grounds of religion, race, caste and class.

➢ **अनुच्छेद / Article 24 –**

- बच्चों को कारखानों आदि में नियोजित करने का निषेध
  Prohibition of employment of children in factories.

- **बालश्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम (1986) –**
  Child Labor Prohibition and Regulation Act (1986) –
  - 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों, खादानों तथा जोखिम पूर्ण कार्यो में नहीं लगाया जाएगा।
    Children under the 14 years of age will not be employed in factories, mines and other hazardous work.
  - इसमें 2016 में संशोधन किया गया, तथा यह प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।
    It was amended in 2016, and a provision was made that children under the age of 14 years will not be employed in any work.
  - लेकिन वे घरेलू व्यवसाय में माता–पिता की सहायता कर सकते हैं।
    But they can help/assist parents in household business/family enterprises.
  - इस संशोधन के माध्यम से ही किशोरों (14 से 18 वर्ष की आयु) के खतरनाक व्यवसायों में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है।
    Through this amendment that employment of adolescents (aged 14 to 18 years) in hazardous occupations has been prohibited.

➢ **एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामला – 1997**
M.C. Mehta vs State of Tamil Nadu case - 1997

- न्यायालय ने पटाखों के निर्माण सहित खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया।
  The court prohibited the employment of children in hazardous industries including the manufacture of firecrackers.

- न्यायालय ने सरकार को बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए तथा बालश्रम को मिटाने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया।
  The court directed the government to take necessary measures to protect the rights and welfare of children and to eradicate child labour.

➢ **पीपल्स यूनियन और डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला – 1982**
People's Union and Democratic Rights vs Union of India case - 1982

- सर्वोच्च न्यायालय ने माचिस कारखाने में बालश्रम के मुद्दे पर विचार किया।
  The Supreme Court dealt with the issue of child labor in match box factories.

➢ **बचपन बचाओ आंदोलन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला – 2011**
Bachpan Bachao Andolan v/s Union of India Case - 2011

- सुप्रीम कोर्ट ने कालीन बुनाई सहित विभिन्न उद्योगों में बालश्रम पर विचार किया।
  The Supreme Court addressed the issue of child labor in various industries, including carpet weaving.
- कोर्ट ने सरकार को श्रम में लगे बच्चों के बचाव, पुनर्वास और शिक्षा पर आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया।
  The court directed the government to take necessary measures for rescue, rehabilitation, and education of children involved in labor.

➢ **कैलाश सत्यर्थी /** Kailash Satyarthi –

- शांति नोबल पुरस्कार (2014)(मलाला यूसफजाई के साथ)
  Nobel Peace Prize (2014)(with Malala Yousafzay)
- बचपन बचाओ आन्दोलन – 1980 / Save childhood movement - 1980

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25–28) / Right to freedom of religion(25-28)

➢ **अनुच्छेद – अन्तःकरण की स्वतंत्रता**
Article 25 – Freedom of conscience

- **अनुच्छेद 25(1) –** अन्तःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार
  Article 25(1) - Freedom of conscience and right to profess, practise and propagate religion.
- सीमाएँ / limitations –
  1. नैतिकता / Morality
  2. लोक व्यवस्था / Public order

3. स्वास्थ्य / Health
4. अन्य लोगों के मूल अधिकार / other people fundamental rights

- अर्थात् अन्तःकरण की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा अन्य लोगों के मूल अधिकारों के अधीन है।
  That is, freedom of conscience is subject to public order, morality, health and the fundamental rights of other people.
- सुप्रीम कोर्ट ने धर्मान्तरण करवाने को धार्मिक अधिकार नहीं माना। हालांकि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है। (1977– फादर स्टेनिश्लॉस बनाम एम.पी. राज्य)
  The Supreme Court did not consider conversion as a religious right. However, any person can adopt any religion voluntarily. (Stanislaus v/s Madhya Pradesh, 1977)

➢ **Article 25 (2) –**

- इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी धार्मिक अभ्यास से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रबंधित करते हैं।
  Nothing in this article shall prevent the State from making any law which regulates or restricts any economic, financial, political or other secular activity associated with any religious practice.
- सार्वजनिक प्रकृति के हिन्दु धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना।
  Opening of Hindu religious institutions of public character to all sections of Hindus.

नोटः– अनुच्छेद 25 के तहत दो मुख्य स्पष्टीकरण है –

Note:- There are two main explanations under Article 25

⇒ सिक्खों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा।
Sikhs will have the right to wear/carry kirpans.

- हिन्दु शब्द में 'सिक्ख, जैन, बौद्ध' सम्मिलित है।
  The word Hindu includes 'Sikh, Jain, Buddhist'.

➢ **अनुच्छेद 26– धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार**

Article 26 - Right to manage Religious affairs

- 26(A)– धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार।
  26 (A) - To establish & maintain institutions for religious and charitable purposes.
- 26(B) – धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन व प्रबंधन का अधिकार
  26(B) - Right to organize and manage religious events
- 26(C) – धार्मिक उद्देश्य के लिए चल व अचल सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार
  26(C) - Right to own and acquire movable & immovable property.

- 26(D) – विधि के तहत ऐसी सम्पत्ति के प्रशासन करने का अधिकार
  26(D) - Right to administer such property in accordance with law.
- सीमाएँ / Limitation –
  - लोक व्यवस्था / Public order
  - नैतिकता / Morality
  - स्वास्थ्य / Health
- अर्थात् धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन है।
  That is, the right to manage religious affairs is subject to public order, morality and health.

नोट :– धार्मिक संस्थान की स्थापना के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने **एस.पी. मित्तल बनाम भारत संघ मामला 1982** में कहा कि यह तथ्यात्मक विषय है और सिविल न्यायालय निम्न तीन आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है –

Note:- On the right to establish a religious institution, the Supreme Court in **S.P. Mittal vs. Union of India case 1982** ruled that it is a matter of fact and the civil court can consider an organization as a religious sect on the following three grounds -

1. ऐसा समूह जिसका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास से जुड़ी हुई सामान्य पद्धति में हो।
   A group which believes in a common system related to spiritual development.
2. समूह का ढाँचा हो।/ The group has a structure.
3. समूह का नाम हो।/ The group has a name.

नोट :– इसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ने रामकृष्ण मिशन एवं आनन्द मार्ग को धार्मिक सम्प्रदाय माना तथा अरविन्दो समाज को धार्मिक सम्प्रदाय नहीं माना।

Note:- Under this, the Supreme Court considered Ramakrishna Mission and Anand Marg as religious sects and did not consider Aurobindo Samaj as a religious sect.

- **अनुच्छेद 27** – किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि(प्रचार) के लिए करों के संदाय(भुगतान) में छूट की स्वतंत्रता(केवल कर में छूट देता है, शुल्क में नहीं)
  Article 27 - Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion (exempts only from taxes, not from fees)
  - किसी भी व्यक्ति को ऐसे धन पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि(प्रचार) के लिए किया जाता है।
    No person shall be compelled to pay any tax on money which is used for the promotion (propagation) of any particular religion.
  - अनुच्छेद 27 जिस बात के लिए मना करता है, वह सिर्फ यह है कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा। किन्तु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्त्व देते हुए

धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं होता। इसी प्रकार, राज्य धर्म से जुड़े गैर–धार्मिक कार्यों या धर्म से जुड़े लोक व्यवस्था संबंधी कार्यों पर खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का अतिक्रमण नहीं होता। उदाहरण के लिए – कुंभ के मेले या मुहर्रम के जुलूस में लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु राज्य द्वारा पुलिस व चिकित्सा आदि पर किया गया खर्च अनुच्छेद 27 के विरूद्ध नहीं है।

The only thing that Article 27 prohibits is that the state shall not use state money for the promotion of any particular religion. But if the state spends money giving equal importance to different religions, then Article 27 is not violated. Similarly, if the state spends money on non-religious works related to religion or public order related works related to religion, then Article 27 is not violated. For example - the expenditure made by the state on police and medical etc. to maintain public order in the Kumbh Mela or Muharram procession is not against Article 27.

➢ **अनुच्छेद 28–** कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

Article 28- Freedom as to attendance religious instruction, or religious worship in certain educational institutions.

- **अनुच्छेद 28(1)** – राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नही दी जाएगी।
  Article 28(1) - No Religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds.
- **अनुच्छेद / Article 28(2) –**
  - खण्ड (1) में लिखी गई कोई बात उस संस्थान पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य देखता है लेकिन उसका गठन निजी ट्रस्ट द्वारा किसी विशेष धर्म की शिक्षा देने के लिए हुआ है।
    Nothing in Clause (1) shall apply to any institution which is administered by the State but has been established by a private trust for the purpose of imparting education in a particular religion.
  - निजी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
    religious instruction can be provided in private institutions.

- **अनुच्छेद 28 (3)** – राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त, किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
  Article 28 (3) – No one can be compelled to attend religious instruction or worship in any educational institution recognised by the State or receiving aid out of State funds.

शिक्षा संस्थान educational institution		**धार्मिक शिक्षा** religious education
⇒ राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित (सरकारी स्कूल) Fully funded by the state (Govt.School)	⟶	नहीं Not

⇒ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त (प्राइवेट स्कूल) ⟶ हाँ, बाध्य नहीं
State recognized (Private school) yes, not bound

⇒ अन्य – न तो राज्य द्वारा पोषित ⟶ हाँ, बाध्यता है।
न ही मान्यता प्राप्त yes, there is an obligation.
Others – neither state funded
Nor recognized

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार / Cultural and Educational Rights (29–30)

- **अनुच्छेद 29** – अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
  Article 29 – Protection of interests of minorities
  - **अनुच्छेद 29(1)** – भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि का संरक्षण करने का अधिकार है।
    Article 29(1) - Any section of the citizens residing in territory of India having a distinct language, script or culture of its own, shall have the right to conserve the same.
  - **अनुच्छेद 29(2)** – राज्य द्वारा वित्तपोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
    Article 29(2) - No citizen shall be denied admission into any educational institution financed and receiving aid out of the State funds on the grounds of religion, race, caste or language.

नोट :– अनुच्छेद 29 का अधिकार अल्पसंख्यकों के साथ–साथ अन्य वर्गों को भी उपलब्ध है।

Note:- The rights of Article 29 are available to minorities as well as other sections.

नोट :– उच्चतम न्यायालय ने इस अनुच्छेद के संबंध में कहा कि यह केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि 'नागरिकों के अनुभाग' शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एंव बहुसंख्यक दोनों से है।

Note:- The Supreme Court said regarding this article that it is not only applicable in the case of minorities, as is commonly believed, because the term 'section of citizens' means both minorities and majority.

नोट :– उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आन्दोलन करने का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है।

Note:- The Supreme Court said that the protection of language also includes the right to agitate for the protection of the language.

- **अनुच्छेद 30** – शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
  Article 30 – Right of minorities to establish and administer educational institutions

- अनुच्छेद 30(1) – भाषा एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं तथा उनका प्रशासन कर सकते हैं।
  Article 30(1) - Minorities can establish and administer educational institutions on the basis of language and religion.
- अनुच्छेद 30(1)(क) – अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित एवं प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के समय क्षतिपूर्ति की रकम इतनी हो जिससे अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में कोई कमी न हो। (44वाँ संविधान संशोधन)
  Article 30(1)(a) - The compensation amount for the compulsory acquistition of any minority educational institution property shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them under Article 30. (44th Constitutional Amendment)
- अनुच्छेद 30(2) – शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने में राज्य धर्म और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
  Article 30(2) – The State will not discriminate on the basis of religion and language in granting financial aid to educational institutions.

नोट :– अनुच्छेद 30 का अधिकार – केवल अल्पसंख्यकों के लिए है।

Note:- Right of Article 30 – is only for minorities.

➢ T.M.A. Pai Foundation v/s State of Karnataka (2002) –

- सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की पहचान हेतु दो आधार बताए –
  The Supreme Court gave two grounds for identifying minorities -
  - राष्ट्रीय / National
  - प्रान्तीय / Provincial
- 'अल्पसंख्यक' शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
  The word 'minority' has not been defined anywhere in the Constitution.
- राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दु बहुसंख्यक है परन्तु जम्मू–कश्मीर, पंजाब, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश व लक्षद्वीप में हिन्दु अल्पसंख्यक है।
  At the national level, Hindus are in majority but in Jammu and Kashmir, Punjab, Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Lakshadweep, Hindus are in minority.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों का उल्लेख है –
  Indian Consititution (Article 30) mentions two types of minorities -
  1. धार्मिक अल्पसंख्यक / Religious Minorities.
  2. भाषायी अल्पसंख्यक / Linguistic Minority
     हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया।
     However, the term minority was not defined.

धार्मिक अल्पसंख्यक / Religious minorities –

- संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 में छः धर्मों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है।
  Parliament has given minority status to six religions in the National Minorities Act 1992.
  1. मुस्लिम / Muslim 2. ईसाई / Christian 3. जैन / Jain
  4. बौद्ध / Bhudhist 5. पारसी / Parsi 6. सिक्ख / Sikh

भाषायी अल्पसंख्यक / Linguistic minorities –

- इसको ना ही तो संविधान में ना ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
  It has neither been defined in the Constitutions nor in any Act.

संवैधानिक उपचारों का अधिकार / Right to constitutional remedies (32)

➢ अनुच्छेद / Atricle 32 –

- यह अनुच्छेद भाग –3 में प्राप्त मूल अधिकारों की संवैधानिक दृष्टि से उनकी रक्षा करता है।
  This article protects the fundamental rights obtained in Part-3 from the constitutional point of view.
- यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी करता है।
  If fundamental rights are violated, the Supreme Court issues 5 types of writs under Article 32.
- उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारण्टी देने वाला माना गया है।
  Supreme Court has been considered as the defender and guarantor of the fundamental rights of the citizens.

➢ डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा तथा हृदय बताया।
Dr. Bhimrao Ambedkar described Article 32 as the most important article and called the right to constitutional remedies the soul and heart of the Constitution.

❖ रिट के प्रकार (Types of writs) :-

1. **बन्दी प्रत्यक्षीकरण /** Habeas Corpus –
   - बंदी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है – शरीर को प्रस्तुत किया जाए।
     It is a latin term which literally means "to have the body of'.(the body must be presented)
   - यदि किसी व्यक्ति को अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया जाता है तो बंधक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जाती है।
     If any person is illegally detained, then this writ is issued by the court to present the detained person in front of the court.
   - इसे सरकार, निजी व्यक्ति तथा संस्था के विरूद्ध भी जारी किया जा सकता है।
     It can also be issued against the government, private individualsa and institutions.

- यदि सरकार के विरूद्ध यह रिट जारी की जाती है तो यह मुख्य सचिव को जारी की जाती है।
  If this writ is issued against government, than it is issued to the chief secretary.

2. परमादेश / Mandamus –

- इसका शाब्दिक अर्थ है – हम आदेश देते हैं।
  It literally means - We command.
- किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध यह रिट जारी कर उसे कर्त्तव्य पालन का आदेश दिया जाता है।
  If any public official does not perform his/her official duty, then in such case this writ is issued against that official to perform the duties.
- यह रिट निष्क्रिय को सक्रिय करती है।
  This writ activates the inactive one.
- यह रिट निम्न के विरूद्ध जारी नहीं होती :
  This writ does not issue against:
  - राष्ट्रपति / president
  - राज्यपाल / governor
  - निजी व्यक्ति या संस्था / private individual or organization
  - यदि कोई अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अधीन है।
    if someone is under his discretionary powers.
  - सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज जब वो अपने न्यायिक क्षेत्र में कार्य करते हैं।
    judges of the Supreme Court and High Court when they acting in their judicial capacity.
  - संविदाओं से संबंधित कार्य / to enforce a contractual obligation.

3. प्रतिषेध (Prohibition) –

- इसका शाब्दिक अर्थ है – रोकना।
  Literally, it means 'to forbid'.
- यह रिट उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरूद्ध जारी की जाती है। यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है।
  This writ is issued by a higher court against lower court, if the lower court is functioning out of its jurisdiction.
- यह रिट सक्रिय को निष्क्रिय करती है।
  This writ makes active as inactive.

- यह रिट केवल न्यायिक एवं अर्द्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरूद्ध जारी की जा सकती है। (न्यायपालिका के विरूद्ध जारी की जाती है।)
  It can be issued only against judicial and quasi judicial authorities. (Issued against the judiciary.)
- प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या निकाय के विरूद्ध यह रिट जारी नहीं की जाती है।
  It can not be issued against administrative authorities, legislative bodies, and private individuals or bodies.

4. उत्प्रेषण (Certiorari) –

- इसका शाब्दिक अर्थ है – ''प्रमाणित होना या सूचना देना''
  In the literal sence , it means "to be certified or to be informed"
- यह उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को जारी की जाती है –
  It is issued by the higher court to the lower court -
- यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है।
  The lower court acts beyond its jurisdiction.
- इसके तहत् उच्चतर न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मँगवाता है और स्वयं सुनवाई करता है।
  Under this, the higher court transfers that case to itself and hears it itself.
- यदि निम्नतर न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर दी है तब भी इसे जारी किया जा सकता है।
  even if the lower court has completed the hearing, it can still be issued.
- 1991 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह रिट कार्यपालिका के विरूद्ध भी जारी की जा सकती है।
  In 1991, The Supreme Court gave the decision that this writ can also be issued against the executive.
- विधायी निकायों एवं निजी व्यक्ति या इकाईयों के विरूद्ध यह रिट उपलब्ध नहीं है।
  It is not available against legislative bodies and private individuals or bodies.

5. अधिकार पृच्छा (Quo-warranto) –

- इसका शाब्दिक अर्थ है कि – ''किसी प्राधिकार या वारंट द्वारा''।
  In the literal sence, it means, - "By what authority or warrant"
- यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी राजनीतिक और प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए उसके पास पर्याप्त योग्यताएँ नहीं है या जिसके लिए वो योग्य नहीं है तो इस स्थिति में यह रिट जारी की जाती है।

if a person is appointed to any political or administrative post for which he/she does not have sufficient qualifications, for which that person is not eligible then in this situation this writ is issued.

- यह नियुक्त करने वाले के विरूद्ध जारी नहीं होती बल्कि नियुक्त होने वाले के विरूद्ध जारी की जाती है।
  it is not issued against the person who appoints but is issued against the person who is appointed.
- इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता।
  It can not be issued in cases of ministerial or private office.
- इसे किसी भी व्यक्ति (प्रभावित नहीं है तो भी) द्वारा दायर किया जा सकता है।
  It can be filed by any person (even if not affected)

प्रतिषेध / prohibition	**उत्प्रेषण / Certiorari**
• इसमें उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय को किसी कार्य को करने से रोका जाता है In this, the Higher Court only stops the Lower Court from doing some work.	इसमें निम्नतर न्यायालय को कार्य करने से रोका भी जाता है तथा उच्चतर न्यायालय केस की सुनवाई अपने पास मँगवा लेता है। In this, the lower court is stoped from working and the higher court gets the hearing of the case transferred to itself.
• केवल सुनवाई के दौरान ही जारी होती है। It issued only during the hearing.	सुनवाई के दौरान और उसके बाद भी जारी होती है। This can be issued during the hearing of case and also after the verdict.
• केवल न्यायपालिका के विरूद्ध जारी की जा सकती है। Can be issued only against the judiciary.	न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरूद्ध जारी की जा सकती है। can be issued against both the judiciary and the executive.

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता की तुलना

Comparison of writ jurisdiction of Supreme Court and High Court

सुप्रीम कोर्ट(अनुच्छेद 32) Supreme Court (Article 32)	**उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226)** High Court (Article 226)
• सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है। The Supreme Court is bound to issue writs.	हाई कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। The High Court is not bound to issue writs.
• क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति अनुच्छेद 32 से प्राप्त है। Because the Supreme Court has got this power	क्योंकि हाई कोर्ट को यह शक्ति अनुच्छेद 226 से प्राप्त है। Because the High Court has got this power from

from Article 32.	Article 226.
• अनुच्छेद 32 एक मूल अधिकार है। Article 32 is a fundamental right.	अनुच्छेद 226 एक मूल अधिकार नहीं है। Article 226 is not a fundamental right.
• सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी कर सकता है।(अन्य मामलों में रिट जारी नहीं कर सकता) Supreme Court can issue writ in case of violation of fundamental rights. (Can not issue writ in other cases)	हाई कोर्ट मूल अधिकारों में हनन के साथ–साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। The High Court can issue writs in violation of fundamental rights as well as in other cases.
• राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। Article 32 can be suspended during national emergency the Supreme Court is unable to issue a writ.	राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 226 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसलिए हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता बनी रहती है। Article 226 cannot be suspended during national emergency. Therefore even during national emergency the high court has the power to issue writs.

नोट :– उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता अधिक है।

Note:- It is clear from the above facts that the High Court has more writ jurisdiction than the Supreme Court.

- **अनुच्छेद 33 /** Article 33 –
  - संसद सशस्त्र बलों, अर्द्ध–सैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी एवं अन्य के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है।
    Parliament can restrict Fundamental Rights of the armed forces, para military forces, police forces, intelligence agencies & other forces.
  - सैन्य बलों के सदस्यों का अभिप्राय इसमें वो कर्मचारी भी शामिल है, जो सेना में नाई, बढ़ई, चौकीदार, दर्जी आदि का कार्य करते हैं।
    The expression member of the armed forces also includes those employees who work as barbers, carpenters, watchmen, tailor etc. in the army.
- **अनुच्छेद / Article 34 –**
  - यदि किसी क्षेत्र में सैन्य विधि (मार्शल लॉ) लागू होती है तो उन क्षेत्रों में मूल अधिकारों की कटौती हो सकती है।
    If martial law is in force in any area then fundamental rights can be restricted in those areas.
  - भारतीय संविधान में सैन्य विधि की व्याख्या नहीं की गई है।
    Martial law has not been explained in the Indian Constitution.
- **अनुच्छेद /** Article **35**
  - मूल अधिकारों में कटौती का अधिकार केवल संसद को है।

Only Parliament is authorised to lay down restrictions on Fundamental Rights.

- संविधान में जिन मूल अधिकारों में कटौती का प्रावधान है, संसद उन्हीं में कटौती कर सकती है।
  Parliament can restrict only those Fundamental Rights for which there is already provision in the Constitution.

➢ **अनुच्छेद / Article 35(A) –**

- जम्मू–कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए विशेष प्रावधान थे।
  It had special provisions for permanent residence of Jammu and Kashmir.
  - अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार
    Right to buy Immovable Property
  - राज्य की नौकरी के आवेदन
    Apply for State Government Employment
  - राज्य सरकार की योजनाओं एवं सरकारी छात्रवृतियों का लाभ
    Benefit of state government schemes and government scholarships.
- 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में यह अनुच्छेद जोड़ा गया था।
  This article was added to the Constitution by Presidential order in 1954.
- 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया गया।
  It was revoked by Presidential Order in 5 August, 2019.
- अनुच्छेद 370 भी हटा दिया गया।
  Article 370 was also revoked.

➢ **वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है – 15, 16, 19, 29, 30**
Fundamental rights which are available to Indian citizens only – 15, 16, 19, 29, 30

- अनुच्छेद 15 – कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध
  Article 15 - Prohibition of Discrimination on Certain Grounds
- अनुच्छेद 16 – लोक नियोजन में अवसरों की समानता
  Article 16 - Equality of Opportunities in Public Employment
- अनुच्छेद 19 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित छह अधिकार
  Article 19 - Six rights including Freedom of expression
- अनुच्छेद 29 – अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
  Article 29 - Protection of Interests of Minorities
- अनुच्छेद 30 – शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
  Article 30 - Right of Minorities to Establish and Administer Educational Institutions.

➢ **शेष सभी मूल अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है।**
All remaining fundamental rights are also available to foreign citizens.

➢ **राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन – 358 और 359**

Suspension of fundamental rights during national emergency - 358 & 359

➢ **अनुच्छेद 358 / Article 358**

- **अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात** की उद्घोषणा के साथ अनुच्छेद 19 का स्वतः ही निलंबन हो जाता है।

  With the proclamation of national emergency under Article 352, Article 19 is automatically suspended.

  - **राष्ट्रीय आपात** निम्न तीन आधारों पर लगता है –

    National emergency is imposed on the following three grounds -

    - युद्ध (बाह्य आपात) / War (External emergency)
    - बाह्य आक्रमण (बाह्य आपात) / External Aggression(External emergency)
    - सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपात) / Armed rebellion (Internal emergency)
      - आंतरिक अशांति – 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले
        Internal Disturbance - Before 44th Constitution Amendment

- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू हुआ है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा।
  The 44th Constitutional Amendment Act 1978 has provided that if the national emergency is imposed due to armed rebellion then Article 19 will not be suspended.
- अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है –
  National Emergency has been declared three times so far -
  - 26 Oct.1962-10 Jan.1968 – बाह्य आक्रमण के आधार पर (चीनी आक्रमण)
    on the ground of external aggression (Chinese aggression)
  - 3 Dec. 1971- 21Mar.1977 – बाह्य आक्रमण के आधार पर (पाकिस्तानी आक्रमण)
    on the ground of external aggression (Pakistani aggression)
  - 25 June 1975 - 23 Mar.1977 – आंतरिक अशान्ति के आधार पर
    on the ground of internal disturbance

➢ **अनुच्छेद / Article 359 –**

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को घोषणा के द्वारा निलंबित कर सकता है।
  During national emergency the President can suspend other fundamental rights by proclamation.
  - नोट – 44th C.A.A. 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जाएगा।
    Note - By 44th C.A.A 1978, a provision was made that Articles 20 and 21 will not be suspended during national emergency.

- यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद ऐसा कोई कानून बनाती है, जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस कानून में राष्ट्रीय आपातकाल और मूल अधिकारों के निलंबन का उल्लेख होना चाहिए।
  If during the national emergency the Parliament makes any law which violates the fundamental rights, then that law should mention the national emergency and the suspension of the fundamental rights.

मूल अधिकारों में संशोधन / Amendments in Fundamental Rights

- **अनुच्छेद 13(2)** – संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकारों का हनन हो।
  Article 13(2) - Parliament cannot make any law which abridges the Fundamental Rights.
- **अनुच्छेद / Article 368** –
  - यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। (इस शक्ति की किसी सीमा का उल्लेख नहीं है।)
    This article gives the Parliament the power to amend any part of the Constitution. (There is no mention of any limit on this power.)
  - अतः ये प्रश्न खड़ा होता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन करके उनमें कटौती कर सकती है या नहीं।
    Hence the question arises whether Parliament can amend Fundamental Rights and curtail/restrict them or not.
  - यह बहस संविधान लागू होने के साथ ही शुरू हो गई थी।
    This debate started with the enactment of the Constitution.
- **Shankari Prasad v/s Union of India Case (1951) – शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला (1951)**
  - सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता।
    The Supreme Court ruled that Article 13(2) does not apply to Article 368.
  - अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधि पर लागू होता है।
    Article 13(2) applicable only on ordinary law.
  - लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन एक विशेष विधि होता है।
    But constitution amendment made under Article 368 is a special law.
  - अतः संसद सामान्य विधि के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती।
    Hence, Parliament cannot curtail/restrict Fundamental Rights by ordinary law.

- लेकिन संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है।
  But the parliament can curtail/restrict the fundamental rights by the constitution amendment.

➢ **Sajjan Singh v/s State of Rajasthan Case 1965 / सज्जनसिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला 1965 –**

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया अर्थात् संसद सामान्य विधि द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती किन्तु संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सीमित कर सकती है।
  In this case, the Supreme Court reiterated its earlier decision, that is, the Parliament cannot restrict the fundamental rights by ordinary law but can curtail/restrict by Constitution Amendment Act.

➢ **Golaknath v/s State of Punjab State Case (1967) - गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 –**

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व निर्णय को पलट दिया।
  In 1967, the Supreme Court overruled its earlier verdict.
- सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत माना कि अनुच्छेद 13(2) A-368 पर लागू होता है।
  Under this, the Supreme Court ruled that Article 13(2) is applicable on Article 368.
- अतः संविधान संशोधन भी एक सामान्य विधि है।
  Hence, Constitutional Amendment is also an ordinary law.
- अर्थात् संसद संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है।
  That is, Parliament cannot curtail/restrict Fundamental Rights even by Constitutional Amendment act.
- किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में पूर्ववर्ती संशोधनों को रद्द नहीं किया।
  But The Supreme Court did not repeal the earlier amendments in the Fundamental Rights.
- लेकिन भविष्य में मूल अधिकारों में संशोधन के द्वारा कटौती नहीं होगी।
  But in future the Fundamental Rights will not be curtailed/restricted by amendment.
- इस निर्णय का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।
  This verdict will not be implemented retrospectively.

➢ **24th C.A.A. 1971 –**

- इसके तहत् अनुच्छेद 13(4) तथा अनुच्छेद 368(1) को जोड़ा गया।
  Under this, Article 13(4) and Article 368(1) were added.
- 13(2) केवल सामान्य विधियों पर लागू होता है।
  Article 13(2) is applicable only on ordinary laws.
- पुनः ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 13(2) 368 पर हावी नहीं होगा।
  Again it was provided that Article 13(2) does not apply on 368.
- अतः संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है।
  Therefore, the Parliament can curtail/restrict the fundamental rights by Constitution Amendment.

- **25th C.A. 1971 –**
  - इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31(C) जोड़ा गया।
    Article 31(C) was added by this Constitution Amendment.
  - (i) जिसके अनुसार यदि अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद कोई अधिनियम पारित करती है तथा वह अधिनियम अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मूल अधिकारों का हनन करता है तो इस आधार पर वह अधिनियम अवैधानिक/असंवैधानिक नहीं होगा।
    (i) According to which, if the Parliament passes an Act to achieve the objectives of Articles 39(b) and 39(c) and that Act violates the fundamental rights given in Articles 14, 19 and 31, then that Act will not be illegal/unconstitutional on this basis.
  - (ii) इस प्रकार के अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
    (ii) Such an Act cannot be challenged in the court.
- **26th C.A. 1971 –**
  - शासकों के प्रीविपर्स बन्द कर दिए गए।
    Privi Purses of the rulers were stopped.
- **Keshwanand Bharti v/s Kerala State Case 1973 /केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 –**
  - इसमे 24वें व 25वें संविधान संशोधनों को चुनौती दी गई।
    In this the 24th and 25th Constitutional Amendments were challenged.
  - सुप्रीम कोर्ट ने 24वें व 25वें संविधान संशोधन को वैधानिक ठहराया अर्थात् यह माना कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
    The Supreme Court declared both the 24th and 25th Constitutional Amendments legal and accepted that the Parliament can amend any part of the Constitution.
  - अतः संसद मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन के द्वारा कटौती कर सकती है।
    Therefore, the Parliament can curtail the Fundamental Rights through constitutional amendment under article 368.
  - लेकिन संसद संविधान के बुनियादी ढाँचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती।
    But the Parliament cannot distort the basic structure of the Constitution.
  - पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढाँचे की अवधारणा दी।
    For the first time, the Supreme Court gave the concept of the basic structure of the Constitution.
  - सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बुनियादी ढाँचा काई तथ्य नहीं है, अतः समय–समय पर न्यायालय इसकी व्याख्या करता रहेगा।
    The Supreme Court held that the basic structure is not a fact, so the court will keep interpreting it from time to time.

- न्यायालय ने 25th संविधान संशोधन के भाग –2 को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि यह न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन (एक बुनियादी ढ़ाँचा है)की शक्ति को कम करता है।
  The court declared Part-2 of the 25th Constitutional Amendment unconstitutional, as it reduces the power of judicial review of the court (judicial review is a basic structure).
- इस मामले में 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया।
  In this case, a Constitutional Bench of 13 judges was constituted.
- 7 : 6 के बहुमत से निर्णय दिया गया।
  It gave the verdict with 7 : 6 majority.

➢ **बुनियादी ढांचा / Basic Structure**

- संविधान की सर्वोच्चता
  Supremacy of the Constitution
- संप्रभु, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य स्वरूप वाली सरकार
  Sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity.
- संविधान का पंथनिरपेक्ष स्वरूप
  Secular character of the Constitution
- देश की एकता व अखण्डता
  Unity and Integrity of the nation
- संसदीय शासन व्यवस्था
  Parliamentary system
- संविधान का संघीय स्वरूप
  Federal character of the Constitution
- स्वतंत्र न्यायपालिका
  Independence of Judiciary
- न्यायिक पुनरावलोकन
  Judicial Review
- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण
  Separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary.
- स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव प्रणाली
  Free and fair elections
- विधि का शासन
  Rule of law
- मूल अधिकारों व नीति–निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन
  Balance between Fundamental Rights & Directive Principles

- संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति
  Limited power of Parliament to amend the Constitution
- समता का सिद्धान्त
  Principle of Equality
- व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा गरिमा
  Freedom and dignity of the individual
- कल्याणकारी राज्य (सामाजिक–आर्थिक न्याय)
  Welfare state (socio-economic justice)
- न्याय तक प्रभावकारी पहुँच
  Effective access to justice
- मौलिक अधिकारों के मूलभूत सिद्धान्त
  Principles (or essence) underlying fundamental rights
- अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ
  Power of the Supreme Court under Articles 32, 136. 141 and 142
- अनुच्छेद 226 तथा 227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति
  Power of the High Court under Articles 226 and 227

संविधान के मूलभूत ढाँचे का विकास
Development of the basic structure of the Constitution

वाद का नाम Name of the case	मूलभूत ढाँचे के तत्त्व Elements of Basic structure
1. **केशवानन्द भारती वाद (1973)** **Keshavananda Bharati case (1973)**	1. संविधान की सर्वोच्चता Supremacy of the Constitution 2. विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बँटवारा Division of power between legislature, exacutive and judiciary 3. संविधान का धर्म निरपेक्ष चरित्र Secular character of the Constitution 4. भारत की सम्प्रभुता एवं एकता Sovereignty and unity of India 5. कल्याणकारी राज्य की स्थापना Extablishment of welfare state 6. संसदीय प्रणाली Parliamentary system
2. **इन्दिरा नेहरू गाँधी वाद (1975)** **Indira Nehru Gandhi Case (1975)**	1. न्यायिक समीक्षा Judicial review 2. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

	Free and fair elections 3. अवसर की समानता Equality of opportunity
3. मिनर्वा मिल्स वाद (1980) **Minerva Mills Case (1980)**	1. संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति Limited power of Parliament to amend the Constitution 2. मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन Balance between fundamental rights and directive principles
4. इन्द्रा साहनी वाद (1992) **Indra Sawhney Case (1992)**	1. कानून का शासन Rule of law
5. कुमार पद्म प्रसाद वाद (1992) **Kumar Padma Prasad Case (1992)**	1. न्यायपालिका की स्वतंत्रता Independence of the Judiciary
6. किहोता होलोहोन वाद (1992) **Kihoto Holohon Case (1992)**	1. स्वंतत्र एंव निष्पक्ष चुनाव Free and fair elections 2. सम्प्रभु, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक ढाँचा Sovereign, democratic, republican structure
7. एस.आर. बोम्मई वाद (1994) **S.R. Bommai Case (1994)**	1. संघवाद Federalism 2. राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता Unity and integrity of the nation 3. सामाजिक न्याय Social justice 4. न्यायिक समीक्षा Judicial review
8. ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन वाद (2001) **All India Judges Association Case (2001)**	1. स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली Independent judicial system
9. एम. नागराज वाद (2006) **M. Nagaraj Case (2006)**	1. समानता का सिद्धान्त Principle of equality
10. आई.आर.कोएल्हो वाद (2007) **I.R. Coelho Case (2007)**	1. कानून का शासन Rule of law 2. शक्तियों का बँटवारा Division of powers 3. मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धान्त Basic principles of fundamental rights

➢ **42th संविधान संशोधन 1976 / 42th Constitutional Amendment 1976 –**

- इसमें 31(C) का विस्तार किया गया।/ In this, 31(C) was enlarged.
- जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि संसद सभी नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम/कानून बनाती है और वो अधिनियम/कानून अनुच्छेद 14, 19, 31 में दिए गए

मूल अधिकारों का हनन करता है तो इस आधार पर वह अधिनियम अवैधानिक/असंवैधानिक नहीं होगा।

Under this provision, it was stated that if the Parliament makes any Act/Law to achieve the objectives of all the Directive Principles of State Policy and that Act/Law violates the Fundamental Rights given in Articles 14, 19 and 31, then that Act will not be illegal/unconstitutional/void on this grounds.

- **Minerva Mills v/s Union of India Case (1980)/ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 –**
  - इसमें 42th संविधान संशोधन को चुनौती दी गई।
    In this, the 42th constitutional amendment was challenged.
  - सुप्रीम कोर्ट ने 31(C) में किए विस्तार को अवैधानिक/असंवैधानिक घोषित किया तथा उसे अपने पूर्ववर्ती रूप में पुनः स्थापित किया गया।
    The Supreme Court declared the enlargement made in 31(C) illegal/unconstitutional and restored it in its previous form.
  - न्यायालय के अनुसार नीति निदेशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।
    The Supreme Court made it clear that to achieve the objective of Directive Principles Fundamental Rights cannot be curtailed.
  - इसी समय न्यायालय ने यह माना कि मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व आपस में विरोधाभासी नहीं है। दोनों के उद्देश्य (मानव कल्याण) समान है अतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
    Supreme Court held that Fundamental Rights and the Directive Principles are not contradictory and objective of both is 'public welfare' which means both are supplementary.
  - इसके बावजूद यदि दोनों में कोई विरोधाभास होता है तो नीति निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाएगा।
    Even after this, if there is a contradiction between the two, Fundamental Rights are to be given primacy over Directive Principles.

- **Article 31 - सम्पत्ति का अधिकार / Right to Property**
  - 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300–क (भाग–XII) में रखा गया।
    Through 44th Constitutional Amendment, this right was deleted from Fundamental Rights and was placed under Article 300-A (Part - XII) of the Constitution.
  - अब यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है।
    Presently it is not a Fundamental Right, but a Constitutional Right.
  - इसके तहत कोई भी व्यक्ति कानून के बिना सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
    According to this, no person shall be deprived of his property except by authority of law.

- **31(A) -**
  - जनहित में राज्य किसी भी निजी सम्पति का अधिग्रहण कर सकता है तथा यह सभी प्रकार के निजी व्यापारों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है।
    State can acquire any private property for the objective of social welfare and it can nationalize any type of private enterprise.
  - इसके लिए प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
    The compensation paid for it cannot be challenged in the courts.

- **31(B) -**
  - जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में रख दिया गया है उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता।
    Acts Which are placec under the Ninth Schedule are immune from judicial review.
  - हालांकि केशवानन्द भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को बुनियादी संरचना के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
    However, in the Keshvananda Bharati case, the Supreme Court said that the Acts included in the Ninth Schedule can be challenged on the basis of violation of the basic structure.
  - आई.आर. कोएल्हों बनाम तमिलनाडु राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने फिर से इस दृष्टिकोण की पुष्टि की। (2007)
    The Supreme Court again confirmed this view in I.R. Coelho v/s State of Tamil Nadu case. (2007)

- **31(C) -**
  - इसके तहत यदि अनुच्छेद 39(b), 39(c) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ससंद कोई कानून बनाती है और यह कानून अनुच्छेद 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता।

Under this, if Parliament makes any law to implement objectives specified in Article 39(b), 39 (c) then it can't be declared unconstitutional on the ground of contravention of the fundamental rights conferred under Article 14, 19 and 31.

- इस प्रकार की विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  Such type of law cannot be challenged in any court.

नोट :– केशवानन्द केस के बाद सभी अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है।

Note:- After the Kesavananda case, all the acts can be judicially reviewed.